न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 154/2023–निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलियां जिला भीलवाडा

बनाम

1. महावीर /प्रकाशचन्द्र जैन, निवासी बिजौलियां
2. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बिजौलियां जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम पटटा कमांक 1444 दिनांक 10.12.2019 निरस्त कराने बाबत्

उपस्थित–

1. विभागीय पेरोकार– निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.06.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पटटा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा नियम 140 के तहत आबादी भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेजात संलग्न नही किये गये।ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पटटा जारी करने में नियम 141 से 149 की उल्लघंना की गयी। जिसमें नक्शा नही बनाया गया, मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नही किया गया, आपत्ति पत्र जारी नही किया गया। रियायती दर से भूखण्ड विक्रय होना बताया गया किन्तु प्रार्थी उक्त नियम की श्रेणी की पात्रता नहीं रखता हैं। पटटा कोरम से अनुमोदित नही कराया गया। पटटे के भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड क्रय करने बाबत् किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पटटा संख्या 1444 दिनांकित 10.12.2019 को निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 08.09.2023 को दायर की जाकर विपक्षी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार बिजोलिया से विपक्षी के नोटिस अदम तामील प्राप्त होकर विपक्षी बिजौलियां में नही रहते हैं, का अंकन किया गया हैं। निगराकार विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलिया ने विपक्षी के सही सकुनत मय सम्मन नोटिस पेश नही कर विपक्षी के विरूद्व निगरानी पेश की है, जो नियम विरूद्व हैं। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 08.09.2023 से ही पंजीबद्व चला आ रहा है। प्रकरण में काफी समय व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रकिया नही अपनायी है। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी अस्वीकार किया जाना न्ययोचित ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी सही सकूनत के अभाव में अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी बिजौलिया को प्रेषित की जावे। विकास अधिकारी बिजौलिया पूर्ण दस्तावेज की जांच कर प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)